रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062024-254530
CG-DL-E-04062024-254530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2070]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 3, 2024/ज्येष्ठ 13, 1946
No. 2070]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 3, 2024/JYAISHTHA 13, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2024

का.आ. 2169(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. 3029 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2017 के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा: अर्थात्:—

"5. **निगरानी समिति.-** केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है, अर्थात्:—

क्रम सख्या	व्यक्तियों के नाम	पद
(क)	जिला कलेक्टर, नागपुर	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ख)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;

(ग)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र	सदस्य, *पदेन*;
(घ)	वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(ड.)	राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(च)	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(छ)	लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(ज)	मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, पेंच बाघ परियोजना, नागपुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(झ)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(ञ)	उप वन संरक्षक, नागपुर प्रभाग	*पदेन*, सदस्य सचिव

(i) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"6. **निगरानी समिति के कार्य.** – (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं की गई परियोजनाएं और क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा.सं. 25/205/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3029(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2024

S.O. 2169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3029(E), dated the 13th September, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"5. **Monitoring Committee.—**The Central Government constitutions a committee for the implementation of this notifications of the following persons specified in the Table below, namely:—

Serial number	Name of persons	Designation
1	2	3
(a)	District Collector, Nagpur	Chairman, *exofficio;*
(b)	A representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) nominated by the Government of Maharashtra for a period of three years.	Member;
(c)	Regional Officer, State Pollution Control Board, Maharashtra.	Member, *exofficio;*
(d)	Senior Town Planning Officer	Member, *exofficio;*
(e)	A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member, *exofficio;*
(f)	A representative of Department of Irrigation, Government of Maharashtra	Member, *exofficio;*
(g)	A representative of Public Works Department, Government of Maharashtra	Member, *exofficio;*
(h)	A representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur	Member, *exofficio;*
(i)	One expert from the area of ecology and environment nominated by the Government of Maharashtra for a period of three years.	Member;
(j)	Deputy Conservator of Forests, Nagpur Division	Member Secretary, *exofficio;*

(ii) for paragraph 6, the following shall be substituted, namely:—

"6. **Functions of the Monitoring Committee.—**(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the projects and activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The projects and activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1), and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table

under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Regulatory Authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the District Collector or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit an annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/205/2015-ESZ-RE]
DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3029(E), dated the 13th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.06.04 14:51:56 +05'30'